सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7.5.2018 पत्रावली हाजत्त लाइ अदालत
न्याय आपेड़ार 2018 सिविर
सिंघपुर मे पेश हुई। वक्त
अभियुक्त मौजूदगी सुनी गई।
पत्रावली का अवलोकन किया
दरमियान मे मामला इस प्रकार
है कि मौजा सिंघपुर पर ह०
सिंघपुर की आ० 2007,
2008, 2009, 2010 कुल मिला 4

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो इ हुक्म की तामील जारी हुए
	कुल रकबा 0.65 हे0 स्थित है। जो वर्तमान रेवेन्यू रेकार्ड में जो पारधुआ स्थान गिरहुर के खातेदारी हक तथा उक्त पारधुआ स्थान या पाहनिज रैंक आल ग्राम गाय हाकओं के समय से प्रचार होता रहा है तथा वर्तमान में भी वादिगण देखभाल कि पारधुआ स्थान की सेवा पूजा कर रहा है। साथ ही मालती समाज, दर्जी समाज, समहानी पंडित ब्राह्मण समाज, कुम्हार समाज तेली समाज, कुशवा समाज आदि समाज के लोग सेवा पूजा की समग्री देते है तथा उक्त आखड़ियात पारधुआ स्थान की है। उक्त वाद मति आशय पर अतरवी संख्या 1, 2 व अनेक समाज के कुछ लोग ने रुख किये है बजार के पश्चिम अपने समाज विशेष का पंचायती चौपरा बनाने की नियत से एवं पारधुआ की अति की पश्चिम को हड़पने की नियत से परेशान कर रहे है। अतः अत्यावेदिनियों के पराजय करने हेतु प्रा.प. प्रस्तुत किया है। हमने अतरवी गण को यथोचित समन तलब किया। अतरवी संख्या 1 व 2 ने और से पवाद प्रस्तुत किया	

FORM NO. III

APP-A
CRM-I

फर्द अहकाम

नियम (26)

अदालत सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी — मुकाम रूपायन

बनाम धारी लाल

जिस मुकदमा नं 22 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समन हस्तावेजात का अवलोकन किया। समन मूल पत्रावली में तमीलात कायम की पार अंकित किये जावेंगे। प्रथम दृष्टया मामला तथ्यों के पक्ष में बनने के मूल वाद के निर्णय दि० मौजा ब पर हो सिंघूर तहसील रूपायन की अवधि 2007, 2008, 2009, 2010 कुल मिता 4 कुल रकबा 0.65 है. में मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई व्यवस्था। ब 2 के पालन किया जाता है यह कार्य या क्रय करे या दी किसी गैर, सेल्फ करे करवाये। पत्रावली खैरात हुआ हो कर नम्बर के बन्द हो। आदेश मयसे आम के सुनाया गया।	

(आशीष कुमार गोयल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रूपायन
जिला चित्तौड़ (राज.)